कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 326/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 19.08.2026

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

□*थाना देवगांव के टॉपटेन अपराधी विकास यादव की गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग ₹20 लाख मूल्य की (मकान) संपत्ति कुर्क।*

□अपराधी विकास यादव थाना देवगांव का टॉपटेन अपराधी है, जिसके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, लूट/चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 13 गंभीर आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

□*धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत ग्राम रणमों स्थित मकान पर हुई कुर्की की कार्रवाई।*

□*148.501 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित मकान को अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित होना पाए जाने पर किया गया कुर्क।*

□*क्षेत्राधिकारी लालगंज, तहसीलदार लालगंज एवं थाना देवगांव पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मकान के दरवाजों को सील कर कुर्की की कार्रवाई की गई।*

कुर्की का विवरण-

आज दिनांक 19.08.2026 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ में दायर वाद संख्या 2545/2026, कम्प्यूटरकृत वाद संख्या D202615060002545, सरकार बनाम विकास यादव, अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में पारित आदेश के अनुपालन में थाना देवगांव के टॉपटेन अपराधी विकास यादव पुत्र कमला यादव निवासी रणमों, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ की संपत्ति कुर्क की गई।

कुर्क की गई संपत्ति ग्राम रणमों में अभियुक्त के बाबा लालता प्रसाद पुत्र स्व0 बहादुर यादव के नाम दर्ज जमीन आराजी नं0 185, रकबा 0.021 हे0 में निर्मित मकान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 148.501 वर्गमीटर तथा मूल्य लगभग **₹20 लाख** है। उक्त मकान को अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित किया गया था।
क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार लालगंज श्री उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव श्री सुनील कुमार सिंह एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा मकान के बाहर के दो दरवाजों तथा छत पर जाने वाले दरवाजे को ताले से सील कर कुर्की की कार्रवाई पूर्ण की गई। कुर्क मकान की चाभी तहसीलदार लालगंज को सुपुर्द की गई।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 242/2018, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 123/2018, धारा 307, 393, 369 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 366/2017, धारा 302, 34 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 381/2017, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 285/2016, धारा 308, 411 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 300/2016, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।

7. मु0अ0सं0 301/2016, धारा 41, 411, 414 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 155/2024, धारा 307, 452, 506 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 160/2024, धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 397/2023, धारा 354ख, 452, 504, 506 भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 92/2020, धारा 323, 325, 504 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 74/2018, धारा 379, 411 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 407/2016, धारा 379, 411 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।

कुर्क करने वाली टीम-

श्री भूपेष कुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लालगंज; श्री उमेश कुमार सिंह, तहसीलदार लालगंज; थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह; उ0नि0 सुरेश सिंह; चौकी प्रभारी उ0नि0 संदीप दूबे थाना देवगांव तथा अन्य पुलिस बल।